वित्तीय स्वीकृति-2017-18

संख्या-1/2018/1094/52-2-17-2(6)/2017

प्रेषक,

डा0 पिंकी जोवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0, □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये सर्वे कमिश्नर वक्फ कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7,13,68,000/- के सापेक्ष अवशेष □□□शि रू0 3,29,50,500/-की वित्तीय स्वीकृति।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे वित्त (□□-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017, ंशासनादेश संख्या-3/2017/□□-1-348/□□-2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार सर्वे कमिश्नर वक्फ कार्यालय केे अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयोजनेत्तर पक्ष में □□□□□□ □□-व्ययक धनराशि रू0 9,68,52,000/-(रूपये नौ करोड अडसठ लाख बावन हजार मात्र) के प्रथम पाॅच माहों के लिए शासनादेश संख्या-414/52-2-2017-2(6)/2017 दिनांक 24.04.2017 द्वारा रू0 3,84,17,500 (रूपया तीन करोड चैरासी लाख सत्तरह हजार पाॅच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

2. इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के ंशासनादेश संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दिये गये निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये सर्वे कमिश्नर वक्फ कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य व्ययों के भुगतान हेतु प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रू0 7,13,68,000/-(रूपया सात □□□, □□□ □□ □□□ठ हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 3,29,50,500/-(रूपया तीन करोड़ उनतीस लाख पचास हजार पाॅच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(रू0 हजार में)

क्र0 □0	□□□ □□ □□ □□	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित □□□□□	प्रथम 05 □□ हेतु स्वीकृत की □□□ □□□□□	स्वीकृति हेतु □□□□ □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1	2	3	4	5
1-	01-□□□	53852	32125	21727
2-	02-मजदूरी	300	125	175
3-	03-मंहगाई भत्ता	3231	1606.250	1624.750
4-	04-यात्रा04-यात्रा व्यय	500	208.333	291.667
5-	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200	83.333	116.667
6-	06-अन्य भत्ते	2500	1333.333	1166.667
7-	07-□□□□	4000	2166.666	1833.3334
8-	08-कार्यालय व्यय	300	83.333	216.667
9-	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	300	83.333	216.667
10-	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	45.833	154.167
11-	13-टेलीफोन पर व्यय	50	20.833	29.167
12-	14-मोटर गाडियों का क्रय	---	---	---
13-	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300	125	175
14-	16-व्यवसायिक तथा विशेष □□□ □ □□□□□□□□□	250	41.667	208.333
15-	18-प्रकाशन	5	2.083	2.917
16-	42- अन्य व्यय	30	12.5	17.5
17-	45-अवकाश यात्रा व्यय	100	41.667	58.333
18-	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्वेयर का क्रय	100	41.667	58.333
19-	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	100	41.667	58.333
20-	49- चिकित्सा व्यय	360	229.167	130.833
21-	51- वर्दी व्यय	4	.8333	38.167
22-	52-पुनरीक्षित वेतन का □□□□ (राजकीय)	4650	---	4650
	□□-	71368	38417.5	32950.5

रू0 3,29,50,500/-(रू0 □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □च सौ मात्र)

2-(1) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्ष अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) कृपया सुनिश्चित किया जाय कि धनरारियो। का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वी◌ेकृत की जा रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(4) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि □□ आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार

के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 □□ लेखा शीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित □□□□

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □ □-व्यय□ □□ □□□□□ संख्या-48 के लेखाशीर्षक-"2250-अन्य सामाजिक सेवायें-102-धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमो का प्रकाशन-03-अधिष्ठान की सुसंगत इकाईयो कें नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□- 2017-231/2017 दिन□□ 02.01.2017, शासनादेश संख्या-3/2017/□□-1-348/□□- 2017- 231/2017 दिनांक 20.03.2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□- 2017- 231/2017 दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(□□0पिंकी जोवल)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं ◌ दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे◌ेषितः-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0, □□□□□

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0, □□□□□

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर□ □□□, □□□□□

6- वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1/2

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) □□□□□-11

8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरी राम)

□□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।